निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 557) पटना, सोमवार, 1 जून 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

1 जून 2026

सं० एल०जी०–01–13/2026/4240/लेज––भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 मई 2026 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2026]

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अध्यादेश, 2026

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025

(बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित करने हेतु अध्यादेश

प्रस्तावनाः– चूँकि राज्य के अन्तर्गत दुकानों और प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन और सेवा की अन्य शर्त्तों से संबंधित विधियों को संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) पारित किया गया है।

और, चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) को दिनांक–21.11.2025 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

और, चूँकि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) एवं बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) में अंकित प्रावधानों में समरूपता है।

और, चूँकि वर्तमान में बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में अधिनियमों के अन्तर्गत दोहरे प्रावधानों के सह–अस्तित्व के कारण बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित किये जाने की आवश्यकता है।

और, चूँकि बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,

और चूंकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और, चूंकि राज्यपाल से इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का निर्देश प्राप्त हुआ हैः

इसलिए, अब भारत–संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**–
   (1) इस अध्यादेश को बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अध्यादेश, 2026 कहा जा सकेगा।
   (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **निरसन एवं व्यावृति।**– बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित किया जाता है।

   परन्तु यह कि प्रस्तावित निरसन के उपरांत भी निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित कार्रवाई जारी रहेगी, मानो अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

पटना, **सय्यद अता हसनैन,**
दिनांक : 01 जून, 2026 **बिहार राज्यपाल।**

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना, **सय्यद अता हसनैन,**
दिनांक : 01 जून, 2026 **बिहार राज्यपाल।**

विधि विभाग

अधिसूचना
1 जून 2026

सं० एल०जी०–01–13/2026/4241/लेज––बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 मई 2026 को प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवाशर्त) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-01, 2026]

THE BIHAR SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (REPEAL) ORDINANCE, 2026

AN
ORDINANCE

to repeal the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act 09, 2025).

Preamble:— Whereas, the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025) was enacted to amend and consolidate the laws relating to the regulation of employment and other conditions of service of workers employed in shops and establishments within the State, and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) has been brought into force by the Central Government with effect from the 21st day of November, 2025;

And whereas, there is an overlap between the provisions enshrined in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025);

Furthermore, since there is currently a need to generate new opportunities for industrial investment within the state of Bihar in order to accelerate industrial and economic activities, and given the coexistence of overlapping provisions under various enactments, it has become necessary to repeal the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025)

And whereas, the Legislature of the State of Bihar is not in session;

And whereas, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to repeal the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025);

And whereas, instructions have been received from the Governor to promulgate this Ordinance;

Therefore, now, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Ordinance may be called the Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Repeal) Ordinance, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. ***Repeal and Savings.—*** The Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Bihar Act-09, 2025) is hereby repealed.

Provided, however, that notwithstanding the proposed repeal, any proceedings instituted under the repealed Act shall continue as if the Act had not been repealed.

Patna, **SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***01st June, 2026*** ***Governor of Bihar.***

In exercise of the powers conferred under article 213 (1) of the Constitution, I hereby, promulgates this Ordinance.

Patna, **SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***01st June, 2026*** ***Governor of Bihar.***

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 557-571+400-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in